राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला–बाड़मेर

सवाईराम पुत्र मिश्रा जाति मेघवाल, निवासी सराईयों का तला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।	विप्रार्थीगण 1. सामाराम पुत्र मिश्रा 2. टीकमाराम पुत्र मिश्रा 3. आम्बू पत्नि मिश्रा, जाति मेघवाल, निवासी सराईयो का तला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 4. मनभी पुत्री मिश्रा, जाति मेघवाल, निवासी सांवा, तहसील धनाउ। 5. कुशला पुत्र जैसा 6. तमासी पुत्र रामा 7. धाई पत्नि रासा 8. लखमादेवी पत्नि सवाईराम 9. सतराम पुत्र रासा 10. साजन पुत्र पुरखा जाति मेघवाल, निवासी सराईयो का तला, तहसील सेड़वा। 11. व्यवस्थापक–स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एड जयपुर(भारतीय स्टेट बैक) शाखा सेड़वा। 12. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार एवं उप पंजीयक सेड़वा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न. 343 /2024

25/11/24 **प्रार्थी** सवाईराम पुत्र मिश्रा **जाति** मेघवाल, **निवासी** सराईयों का तला **तहसील** सेड़वा, **जिला** बाड़मेर की ओर से अधिवक्ता **श्री करनाराम कड़वासरा** वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया है, जो दर्ज किया जाकर दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ **तहसील सेड़वा के मौजा सराईयों का तला पटवार क्षेत्र जानपालिया भू.अ.नि. सारला के खाता संख्या नया 153 के खसरा संख्या 599/383 रकबा 8.0937 हैक्टर व खाता संख्या नया 50 के खसरा संख्या 600/383 रकबा 8.0937 हैक्टर किस्म बा.सो भूमि की जमाबंदी प्रस्तुत की है।** अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में विवादित आराजी के स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणिय क्षति प्राथी के पक्ष में प्रतीत होते है। **अतः इस आशय की अस्थाइ निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि विप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक तहसील सेड़वा के मौजा सराईयों का तला पटवार क्षेत्र जानपालिया भू.अ.नि. सारला के खाता संख्या नया 153 के खसरा संख्या 599/383 रकबा 8.0937 हैक्टर व खाता संख्या नया 50 के खसरा संख्या 600/383 रकबा 8.0937 हैक्टर किस्म बा.सोभूमि के राजस्व अभिलेखों में किसी प्रकार का परिर्वतन नहीं करें, और न ही कच्चा पक्का निर्माण करे। तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी पैदा न करे तथा वादग्रस्त भूमि का बेचान, रहन, तर्क, दान, वसीयत, समर्पण आदि नहीं करें। मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे।**

इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। स्थगन अहकॉम तहसीलदार सेड़वा को जारी हो। वकील प्रार्थी इस आशय के नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस में रजि.एडी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। प्रार्थी वकील आदेश 39 नियम 03 सीपीसी की पालना करे। विप्रार्थीगण को स्थगन के नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जबाव आगामी पेशी तारीख 15/01/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

11/12/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। चूंकि मामला [illegible] राजीनामा विड्रो किया जा चुका है तो इस [illegible] को आगे चलाने का कोई औचित्य [illegible] आवेदन की कार्रवाई [illegible] की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। मूलवाद के संलग्न हो।

नि० सवाईराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.04 21:00:16 IST
Reason: SelfAttested